



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 29.01.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ आपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 06 मामलों में कुल 12 अभियुक्तों को 32000/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 06 मामलों में कुल 12 अभियुक्तों को 32000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना अतर्रा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-200/14 धारा 323/427/504/506 भादवि के अभियुक्तगण 1. मुबारक पुत्र घसीटा 2. जाबिद 3.सादिक 4. अनवर पुत्रगण सकुर खां निवासीगण गोखिया थाना अतर्रा जनपद बांदा को कुल 12000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना बदौसा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-24/11 धारा 323/504 भादवि के अभियुक्त सुशील पुत्र धर्मराज निवासी शाहपुर शानी थाना बदौसा जनपद बांदा को 1500/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना बदौसा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-119/12 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त राजकरन पुत्र रामभवन निवासी भदावल थाना बदौसा जनपद बांदा को 1500/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
4. थाना अतर्रा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-108/23 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्त भूपत पुत्र रामविशाल निवासी बल्लान थाना अतर्रा जनपद बांदा को 3000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
5. थाना फतेहगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-02/13 धारा 379/411 भादवि के अभियुक्त लवकुश पुत्र शंकरलाल निवासी कुबेरगंज थाना कर्वी जनपद चित्रकूट को 6000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
6. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- एनसीआर 151/20 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्तगण 1. बबलू उर्फ बलराम पुत्र शिवराज 2. भोले 3.चुनकू 4. अमित पुत्रगण शिवराम निवासी पल्हरी थाना बिसण्डा जनपद बांदा को 8000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।